

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 122/2019

दायर दिनांक 17.05.2019

वादी

1. हीराराम पुत्र चेलाराम जाति
मेघवाल निवासी रामसाबास
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. देवाराम पुत्र रामेश्वर
2. मुकेश पुत्र रामेश्वर
3. कैलाश पुत्र रामेश्वर
4. सरोज पुत्री रामेश्वर
5. राधा पुत्री रामेश्वर
6. सन्तोष पुत्री रामेश्वर
7. बालीदेवी पुत्री रामेश्वर
8. रामुडी पत्नी रामेश्वर
9. लालाराम पुत्र लिछमण
10. बंकटलाल पुत्र लिछमण
11. प्रेमराम पुत्र लिछमण
12. श्रवणराम पुत्र लिछमण
13. नानुराम पुत्र लिछमण
14. सोनकी पत्नी लिछमण
15. भीवाराम पुत्र अर्जुनराम
16. पुरखाराम पुत्र अर्जुनराम
17. रामेश्वर पुत्र बगताराम समस्त जाति मेघवाल
निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0
18. तहसीलदार, डीडवाना

बनाम

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

वादी स्वयं उपस्थित।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 16.02.2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के वाके सरहद रामसाबास के खसरा सं0 94 रकबा 6.07 बीघा, खसरा सं0 95 रकबा 06 बीघा, खसरा सं0 199 रकबा 2.19 बीघा, खसरा सं0 739/340 रकबा 0.15 बीघा, खसरा सं0 740/340 रकबा 2.06 बीघा, खसरा सं0 340 रकबा 21.08 बीघा भूमि के उक्त खसरा में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 17 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 20.12.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 2148 दिनांक 16.12.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2148 दिनांक 16.12.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के वाके सरहद रामसाबास के खसरा सं० 94 रकबा 6.07 बीघा, खसरा सं० 95 रकबा 06 बीघा, खसरा सं० 199 रकबा 2.19 बीघा, खसरा सं० 739/340 रकबा 0.15 बीघा, खसरा सं० 740/340 रकबा 2.06 बीघा, खसरा सं० 340 रकबा 21.08 बीघा भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2148 दिनांक 16.12.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2148 दिनांक 16.12.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीत कलहरी) R.A.S.
सहायक सचिव
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गीतायुक्ति) R.A.S.
सहायक सचिव
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 122/2019

दायर दिनांक 17.05.2019

वादी
1. हीराराम पुत्र चेलाराम जाति
मेघवाल निवासी रामसाबास
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. देवाराम पुत्र रामेश्वर
2. मुकेश पुत्र रामेश्वर
3. कैलाश पुत्र रामेश्वर
4. सरोज पुत्री रामेश्वर
5. राधा पुत्री रामेश्वर
6. सन्तोष पुत्री रामेश्वर
7. बालीदेवी पुत्री रामेश्वर
8. रामुडी पत्नी रामेश्वर
9. लालाराम पुत्र लिछमण
- बनाम् 10. बंकटलाल पुत्र लिछमण
11. प्रेमराम पुत्र लिछमण
12. श्रवणराम पुत्र लिछमण
13. नानुराम पुत्र लिछमण
14. सोनकी पत्नी लिछमण
15. भीवाराम पुत्र अर्जुनराम
16. पुरखाराम पुत्र अर्जुनराम
17. रामेश्वर पुत्र बगताराम-समस्त जाति मेघवाल
निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0
18. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्


घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 16.02.2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शैरानी वकील, वादी व श्री मो0 रफीक वकील अप्रार्थी सं0 07 व 17 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के वाके सरहद रामसाबास के खसरा सं0 94 रकबा 6.07 बीघा, खसरा सं0 95 रकबा 06 बीघा, खसरा सं0 199 रकबा 2.19 बीघा, खसरा सं0 739/340 रकबा 0.15 बीघा, खसरा सं0 740/340 रकबा 2.06 बीघा, खसरा सं0 340 रकबा 21.08 बीघा भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर. इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2148 दिनांक 16.12.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2148 दिनांक 16.12.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.02.2023 को सरे इजलास जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
नागौर

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुवमनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
गिजान			गिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नामोन)